



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162345

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7846/2026

मोज्जम अली

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : ज़फीर अहमद

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1- आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री अफसाना, जो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जफ़ीर अहमद की ओर से बहस कर रही हैं, तथा राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

2- यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 93 वर्ष 2025, धारा 318(4), 352, 308(5) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जनपद रामपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना दिनांक 03.06.2025 को घटित होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 को दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक है। आवेदक के विरुद्ध अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के खाते में कोई धनराशि जमा नहीं की गई है। कथित धनराशि सूचनाकर्ता द्वारा सह-अभियुक्त फरमान के बैंक खाते में अंतरित की गई थी। आवेदक ने जबरन वसूली के अपराध को गठित करने वाला कोई कृत्य नहीं किया है। विवेचना के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, जो क्रिमिनल मिस्लेनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यू/एस 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 6146 वर्ष 2025, मोज्जम अली बनाम उ.प्र.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य में पारित किया गया था, आवेदक को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। विवेचना पूर्ण हो चुकी है। आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है। आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

4- राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

5- प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, आरोपों की प्रकृति तथा आवेदक के पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है; आवेदक के विरुद्ध अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप लगाए गए हैं; कथित धनराशि सूचनाकर्ता द्वारा सह-अभियुक्त फरमान के बैंक खाते में अंतरित की गई थी; विवेचना के दौरान इस न्यायालय द्वारा आवेदक को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी; विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है; किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है; आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है; तथा राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन की ओर संकेत नहीं किया गया है, प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6- गिरफ्तारी की स्थिति में, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-मोज्जम अली को विचारण लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i)- आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा कर देगा।

7- इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित न्यायालय उक्त शर्तों को लागू कराने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8- आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

4 अगस्त, 2026

एस.के.टी./-